

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 271 / 2018
आर.सी.टी. कं. 257 / 18
संस्थापन दिनांक—22.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

महेश पिता मोना उर्फ मेहरा कोली उम्र 25 साल,
निवासी कुआ थाना ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 22.05.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 17.02.2018 को समय 17:00 तथा 17:30 बजे के मध्य स्थान—काकरिया रोड कुआ, थाना ठीकरी पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक झोले में 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन तथा 02 छोटी बियर रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वैच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 17.02.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति काकरिया रोड तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर हमराही पंचान संजु पिता चुन्नीलाल एवं विजय पिता चुन्नीलाल को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति काकरिया रोड तरफ से एक झोला में अवैध शराब लेकर आ रहा है। जिसे रोककर नाम पता पूछते अपना नाम

निरंतर.....

महेश पिता मोना उर्फ मेहरा का होना बताया। अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा के पास मिले झोले को चेक करते उसके अंदर 10 क्वाटर देशी शराब प्लेन तथा 02 छोटी बियर होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा के कब्जे से 10 क्वाटर देशी शराब प्लेन तथा 02 छोटी बियर जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 57/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में अभियुक्त महेश पिता मोना उर्फ मेहरा ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 18 क्वाटर देशी शराब प्लेन रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/- रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा 10 क्वाटर देशी शराब प्लेन तथा 02 छोटे बियर मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही /—

सही /—

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0

(शरद जोशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म0प्र0